

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : नारायण सिंह चारण , आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 11/2016 (नि.पं.)

दायर दिनांक :- 21.04.2016

सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति बडीसादडी, पंचायत समिति
बडीसादडी, जिला-चित्तौड़गढ़

-निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1. श्री धन्ना पिता सवा जटिया, निवासी अम्बावली तहसील-बडीसादडी, जिला
चित्तौड़गढ़

2. सरपंच ग्राम पंचायत किरतपुरा, पंचायत समिति बडीसादडी जिला-चित्तौड़गढ़

-गैर निगराकार/(अप्रार्थी)

प्रार्थवाही : निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम
1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत किरतपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 3112
दिनांक 31.08.1990

उपस्थिति : 1. पंचायत प्रसार अधिकारी, प्रार्थी।
2. श्री गोरय परमार, वकील अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

दिनांक 31.01.2018

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत
किरतपुरा, पंचायत समिति बडीसादडी द्वारा दिनांक 31.08.1990 को तात्कालिन
सरपंच द्वारा विपक्षी संख्या 01 को विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारी किया गया तथा
संश्लेषित यह पट्टा पूर्ण नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से जारी किया
गया। तात्कालिन सरपंच ने पदिय हैसियत का नाजायज दुरुपयोग करते हुए उक्त
पट्टा चरागाह भूमि आराजी नम्बर 33 रकबा 9.28 हैक्टर में जारी किया गया। ग्राम
पंचायत किरतपुरा द्वारा भूमि विक्रय कर दिया गया जिसका पट्टा क्रमांक 003112
के विपक्षी को यह भूखण्ड विक्रय का अधिकार नहीं होने के बावजूद चरागाह भूमि
के विपक्षी संख्या 01 को निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड आवंटित कर दिया गया।
विपक्षी संख्या 02 ने विपक्षी संख्या 01 को पट्टा संख्या 3112 की साईज 30X45

एक ब्रफल 1350 वर्गफीट का भूखण्ड का निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया गया। विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को पंचायत क्षेत्र में एक ही भूखण्ड दिया जाना था परन्तु एक ही परिवार को एक के स्थान पर दो भूखण्ड विक्रय किये गये है जो नियम विपरीत होकर गिरस्त योग्य है। उक्त तथ्यों के अनुसार ग्राम पंचायत किरतपुरा पंचायत समिति बडीसादडी द्वारा इस भूखण्ड का विक्रय कर विलेख जारी करने में भारी अनियमितता की है। इसलिये प्रचलित नियमों के तहत यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि विपक्षी को ग्राम पंचायत किरतपुरा द्वारा जारी भूखण्ड का विक्रय विलेख (पट्टा) निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण (अप्रार्थीगण) को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से दिनांक 10.01.2016 को जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 01 को उसके मकान का जारी किया गया पट्टा 26 वर्ष पुराना है और विपक्षी संख्या एक उक्त मकान पर पट्टा जारी होने से पहले ही निवास कर रहा है। विपक्षी संख्या 01 ने अपने उक्त मकान पर बिजली पानी का कनेक्शन भी कर रखा है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 का पट्टा निरस्त करवाने के लिए निगरानी पेश की है जो पट्टा जारी होने के 26 वर्ष बाद पेश की है इसलिये प्रार्थी की निगरानी मियाद बाहर है। इसलिए प्रार्थी की निगरानी मियाद बाहर होने पर निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी की चरण संख्या 01 पूर्णतया मनगढ़न्त व अलत आधारों पर होने से अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं टोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करावें। ग्राम पंचायत किरतपुरा द्वारा विपक्षी संख्या 01 को उसके मकान का पट्टा क्रमांक 0003112 दिनांक 31.08.1990 को जारी किया गया है। उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 01 को विधिनुसार नियमों का पालन करते हुए जारी किया गया है। विपक्षी संख्या 01 अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है और उसके पास निवास करने के लिए उक्त मकान के अलावा कोई मकान नहीं है। इसलिये प्रार्थी की

निगरानी सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 01 को परेशान करने की नियत से द्वेषतावश पेश की है। विपक्षी संख्या 01 के मकान का पट्टा जिस भूमि पर जारी किया गया है उसी भूमि पर अन्य कई लोगों के भी मकानात बने हैं और उनको भी पट्टा जारी किया गया है। विपक्षी संख्या एक का मकान जिस भूमि पर स्थित है उसके पास उसी भूमि पर कमलदास वैष्णव, कन्हैयादास वैष्णव, विशन सिंह राजपूत, गौरूलाल रावत, किशोर दास वैष्णव, लालूराम गायरी, बाबूलाल रावत आदि के भी मकानात बने हुए हैं और उनको भी पट्टे जारी किये गया है लेकिन प्रार्थी ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर विपक्षी संख्या एक के विरुद्ध द्वेषतावश उक्त निगरानी पेश की है। विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक को उसके मकान का पट्टा नियमानुसार एवं अधिनुसार जारी किया गया है, इसलिए प्रार्थी की निगरानी सव्यय निरस्त होने योग्य है।

प्रकरण पर बहस अप्रार्थी सुनी गई जिसमें वकील अप्रार्थी का कथन है कि जिरा पट्टे का निरस्त करवाने के लिये जो निगरानी पेश की गई है लेकिन इसके कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किये हैं, शपथ पत्र एवं कोर्ट फीस भी प्रस्तुत नहीं की गई है। यह पट्टा दिनांक 30.08.1990 को जारी किया हुआ है एवं 27 वर्ष पुराना है। 27 वर्ष बाद यह रिविजन पेश की है। हम इस पट्टे के जारी होने के पहले से ही यहां निवास कर रहे हैं। उक्त निगरानी मियाद बाहर है। दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि अपीलान्ट/निगरानीकार सरकार ह तो उन्हें वैसे ही सीमा में नहीं मान लिया जायेगा जब तक की कोई कारण ना हो। निगरानीकार द्वारा दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया इसलिये मियाद बाहर होने से निगरानी खारिज योग्य है। निगरानीकार द्वारा कोई रेकार्ड भी पेश नहीं किया जिससे यह साबित नहीं हो सकता की यह भूमि चरागाह भूमि है। चरागाह भूमि तो वही होगी जो चरागाह के उपयोग में आ रही हो। यह भूमि तो भूखण्ड

कानात व आबादी की है। ऐसी स्थिति में पट्टे को सही माना जावे और निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं वकील विपक्षी के बहस में तथ्यों पर ध्यान किया गया। प्रकरण पर ग्राम अम्बावली की आराजी संख्या 33 संख्या 9.28 हैक्टर किस्म चरागाह दर्ज रेकार्ड है। प्रश्नगत आराजी भूमि चरागाह दर्ज होने से ग्राम पंचायत किरतपुरा के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि पर ही विधिवत पट्टा जारी करने हेतु सक्षम है। गैर आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना नियमों के प्रतिकूल है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत किरतपुरा पंचायत समिति बडीसादडी द्वारा विपक्षी संख्या 01 को नियमों के विपरीत जाकर पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानी कारीकार कर ग्राम पंचायत किरतपुरा, पंचायत समिति बडीसादडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 003112 दिनांक 31.08.1990 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ़